फा. सं. 12019/02/2024-रा.भा.(का.2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

एनडीसीसी-2 भवन,बी विंग,चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांकः 08अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पदों के संबंध में बैठक का आयोजन।

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि में राजभाषा के रूप में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढाने के लिए राजभाषा अधिनियम,1963 तथा उसके अधीन बनाये गए राजभाषा नियम, 1976 में विविध प्रावधान किये गए हैं।

2. इन्हीं प्रावधानों के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में हिंदी पदों (वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, हिंदी अधिकारी, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, हिंदी अनुवादक, हिंदी टाइपिस्ट) का उपलब्ध होना तथा उनका भरा जाना आवश्यक है। इस संबंध में दिनांक 27/09/2024 के अ.शा. पत्र संख्या 12019/01/2023.रा.भा.(का.2) के द्वारा सभी विभागों/मंत्रालयों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)/विभागाध्यक्ष से उनके मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/स्वयात्तशासी संस्थानों/बोर्डों/निकायों में हिंदी के रिक्त पदों की सूचना मंगाई गयी थी।

3. इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग को प्रेषित सूचना पर विस्तृत चर्चा हेतु **सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में चार बैठकों का आयोजन क्रमशः 14 जनवरी, 24 जनवरी, 09 अप्रैल तथा 31 जुलाई, 2025 को** किया गया। इन बैठकों में मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी के रिक्त पदों को भरने के संबंध में विभिन्न आश्वासन/सुझाव दिए गए। मंत्रालयों/विभागों से हिंदी के रिक्त पदों पर कृत कार्रवाई व रिक्त पदों की अद्यतित स्थिति पर चर्चा हेतु सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

4. उक्त बैठक चार चरणों में **28 अप्रैल (प्रथम चरण पूर्वाह्न 11:00 - 1:00 बजे व द्वितीय चरण अपराह्न 2:30 - 4:30 बजे तक) तथा 29 अप्रैल (तृतीय चरण पूर्वाह्न 11:00 - 1:00 बजे व चतुर्थ चरण अपराह्न 2:30 - 4:30 बजे तक) को सम्मेलन कक्ष, चतुर्थ तल, एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली** में आयोजित की जाएगी। संलग्न सूची के अनुसार सम्बंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव(प्रशासन)/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे स्वयं इस अति महत्वपूर्ण बैठक में विस्तृत एक्शन प्लान व कृत कार्रवाई के साथ उपस्थित हों।

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक (कार्यान्वयन.)
दूरभाष: 23438129

संलग्न : यथोक्त

प्रति : संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी ।
2. संयुक्त सचिव(रा.भा.) के प्रधान निजी सचिव।
3. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

अनुलग्नक

प्रथम चरण (28/04/2026 को प्रातः 11.00 से 1.00 बजे तक)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
2.	कोयला मंत्रालय
3.	गृह मंत्रालय
4.	डाक विभाग
5.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग
6.	राजस्व विभाग
7.	रेल मंत्रालय
8.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
9.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
10.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
11.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)
12.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

द्वितीय चरण (28/04/2026 को अपराह्न 2.30 से 4.30 बजे तक)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	अंतरिक्ष विभाग
2.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
3.	खान मंत्रालय
4.	नागर विमानन मंत्रालय
5.	परमाणु ऊर्जा विभाग
6.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
7.	रक्षा उत्पादन विभाग
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
9.	वित्तीय सेवाएं विभाग
10.	विदेश मंत्रालय
11.	विद्युत मंत्रालय
12.	आयुष मंत्रालय

तृतीय चरण(29/04/2026 को प्रातः 11.00 से 1.00 बजे तक)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
2.	आर्थिक कार्य विभाग
3.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
4.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
5.	उपभोक्ता मामले विभाग
6.	उर्वरक विभाग
7.	औषध विभाग
8.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
9.	ग्रामीण विकास विभाग
10.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
11.	पशुपालन और डेयरी विभाग
12.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

चतुर्थ चरण (29/04/2026 को अपराह्न 2.30 से 4.30 बजे तक)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	संस्कृति मंत्रालय
2.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
3.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
4.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
6.	मत्स्यपालन विभाग
7.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
8.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
9.	वस्त्र मंत्रालय
10.	वाणिज्य विभाग
11.	विधि कार्य विभाग
12.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
13.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय